न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
237/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/357)	27.07.2021	14.12.2021

अनवान

मैसर्स वण्डर सीमेंन्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मकराना–रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर मुख्यालय–17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी

बनाम

1. पन्नालाल पिता भगवाना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मिठूलाल पिता भगवाना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. शान्तिलाल पिता भगवाना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अमित नाहर — अधिवक्ता प्रार्थी
कृष्णा कंवर — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लॉन्ट स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के खान विभाग ने एम.एम.(डी.आर.) एक्ट 1957, एम.एम.(डी.आर.) (संशोधन) एक्ट 2015, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 एवं खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22 के अन्तर्गत खनिज लाइम स्टोन (सीमेंट–ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम कारुण्डा, पायरी, धनोरा, मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की 255.0032 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन–पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है, जिसकी अनुपालना में प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज–डीड संख्या 73/2011 दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित खातेदारी की भूमि का मुआवजा निर्धारित करा कर खनन कार्य करना चाहती है।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा में खाता नम्बर 49 में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 256 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) हक एवं हिस्से की भूमि में प्रार्थी कंपनी की स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित होने से की खनन कार्य हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी के उक्त खनन क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) हक एवं हिस्से की भूमि प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है भूमि की खनन कार्य हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेण्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन-कार्य के लिये प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 256 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) हक एवं हिस्सा निहित है। उक्त भूमि की प्रार्थी कम्पनी को आवश्यकता है। विपक्षीगण की खातेदारी की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना प्रार्थी कम्पनी को सीमेण्ट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेण्ट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और सीमेण्ट उद्योग पर विपरित प्रभाव पडेगा। इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना आवश्यक है। विपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी के खनन क्षेत्र में स्थित होने से विपक्षीगण द्वारा इस भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं उपभोग नहीं हो सकेगा प्रार्थी कम्पनी विपक्षीगण को उसके हक एवं हिस्से के अनुसार उक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सुचारू रूप से सीमेण्ट उत्पादन हेतु खनन प्रयोजनार्थ प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता होने से प्रार्थी कम्पनी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अनुसार विपक्षीगण की उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराने की अधिकारिणी है। प्रार्थी कम्पनी माननीय न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार विपक्षीगण को उक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। विपक्षीगण उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर अन्यत्र भूमि क्रय कर सकेगें जिससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अन्तर्गत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम मालियाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 256 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) हक एवं हिस्सा निहित है। भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावे। उक्त खनन क्षेत्र भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कृषि भूमि वण्डर सीमेण्ट लिमिटेड के नाम खनन प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

इस पर प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया एवं उप-पंजीयक निम्बाहेडा से उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सड़क के पास अथवा दूर, आबादी से पास एवं दूर की वर्तमान में प्रभावित जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित प्रचलित बाजार दरे प्राप्त की गई एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट के निर्देश दिये गये।

दिनांक 16.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 24.11.2021 को अधिवक्ता जसवंत सिंह हाजिर आये एवं अप्रार्थीगण की और से अधिकार पत्र पेश एवं प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही दौतरफा का पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही दौतरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में उप-पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2021/260 दिनांक 16.08.2021 से ग्राम धनोरा तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टेयर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/590 दिनांक 12.08.2021 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2021 प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 08.12.2021 अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपत्तियों के पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना मय प्राथमिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 14.12.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी के और से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियो का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया। इस पर सर्वप्रथम उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्राथमिक आपत्तियों को सुना गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्राथमिक आपत्तियों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि कार्यवाही धारा 89 में पोषणीय नहीं है, क्योंकि भूमियां सहायक प्रयोजन के लिए ली गई। बिना किसी पुर्वाग्रह के धारा 89 विभिन्न संवैधानिक न्यायालय द्वारा निष्पादित नवीनतम कानून के अनुरूप नहीं है। बिना किसी पुर्वाग्रह जो कि राजस्थान भूमि अधिग्रहण के यंत्र समूह प्रावधान कानून की दृष्टि में अनस्तित्व में है जो राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम नियम तीन दशक पूर्व ही रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए धारा 89 की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। उपर्युक्त सद्गुण के प्रावधान से वर्तमान में मनोनीत अधिकारी किसी भी कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं है, बिना उचित कार्यवाही के किसी वैत्तिक खातेदारी जमीन का सहारा लेकर कार्यवाही करना इस प्रकार की कार्यवाही पूर्णतया गैर कानूनी है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। वर्तमान में जो परियोजना दर्शायी गयी है वह वातावरण को दूषित करेगी यानि की पर्यावरण के लिए भी घातक है। जमीन मालिक/खातेदार एवं अन्य हिस्सेदार बिना किसी पर्यावरण दूषित के अवगत कराए बिना सूचना पत्र का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह नैतिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

दूषित करने वाला चुकाता है और सावधानी के सिद्धांत जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 में यह परियोजना लाभ करने वाले की जिम्मेदार है कि वह सभी हिस्सेदार सरकार को शामिल करते हुए परियोजना की सभी परिस्थितियों से अवगत कराएगा। यह परियोजना की आपत्ति से पूर्व करना चाहिए। जमीन हथियाना संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लघंन है, जिस तरीके से यह किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन है। अधिकृत अधिकारी विधिशास्त्र के कानूनी मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध जिसमें हमारों लोग इस परियोजना से प्रभावित है। सरकार द्वारा वर्तमान परियोजना के मुख्य निर्धारण में दूर-दृष्टि नहीं रही है जो कि उन्होंने इसका अनुमोदन/इस प्रकार के औद्योगिक एवं खनन के लिए कर दिया। अतः बहुत ही आश्चर्यजनक है इस प्रकार के अधिकारीगण कैसे शासन चल रहे हैं एवं कर्तव्य निभा रहे हैं हमें सुने बिना एक उद्यमी को हमारी जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस प्रकार मनोनीत अधिकारी वैसे भी असमर्थ हैं, क्योंकि पट्टा उद्यमी के पक्ष में जारी हो चुका है इसलिए वर्तमान में सुनवाई एवं औपचारिकता ही रह जाएगी। भूमि के अधिग्रहण के लिए सुनवाई जन आपत्तियां की सुनवाई, पर्यावरण संबंधित सुनवाई एवं स्थानीय विकास के लिए सुनवाई ये सभी टुकड़ों में नहीं हो सकती। इस प्रकार की कार्यवाही रुझान तुच्छ रह जाएगी हितकारी नहीं होगी। यह जिसमें सरकारी अधिकारी, उद्यमी/पूँजीवादी शामिल सभी संबंधित पूर्णतया लापरवाही कानून की अवहेलना मौज मनमाने ढंग काटपीट एवं विवेकहीनता है। बलपूर्वक दोषसिद्धि के साथ कहा जा सकता है कि क्या कानून में सही है एवं उदार पारित दस्तावेजों के किसी प्रकार देश का संचालन/शासन प्रबंध रहा है जिसमें भारत का संविधान है या किसी उद्यमी या पूंजीवादी को एक किसान की जमीन पर स्वयं के फायदे के लिए पुंजी लगाने की ईजाजत दी जा सकती है जिसने अपनी धरती माँ के लिए खून पसीना एक किया है जिसमें उसने स्वयं के लिए एवं साथीयों के लिए परिपक्व किया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार/पूंजीपति के प्रस्ताव समानता के अधिकारों का हनन करता है, एक अच्छे समाज में जहां की समानता के आधार पर शासन संचालन दूसरी और एक अन्य व्यक्ति से उसके खेत छीनकर दूसरों को दिया जा रहा है। एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न है कि मनोनीत या अधिकृत व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की पुछताछ/जांच ही नहीं की, किस प्रकार प्रभावित किसानों का विस्थापित पुर्नवास किया जाएगा। क्या सरकार ने छोटे-छोटे किसानों के कल्याण को छोड़कर पूंजीपतियों के पक्ष में आँख मुंद ली है। क्या पूंजीपतियों के पक्ष में अंधभक्त रहकर सरकार ने पूर्णतया आँख बंद कर ली है। आगे अति आवश्यक है कि क्या सरकार किसी सुक्ष्म निति मूल्यांकन जो आज इस उद्योग की आवश्यकता है उसे अनुक्षप्ति (सेक्शन) जारी करने से पूर्व में सभी तथ्य मूलरुप से मूल्यांकन करना चाहिए। छोटे किसान किसी भी प्रकार के एक पुंजीपति से संघर्ष अथवा अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक स्वस्थ बिना रिश्वत के उपरोक्त मामलों में जांच कर एवं पुंजीपतियों के आगे घटिया तरीकों से घुटने नहीं टेके। प्रार्थी कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों से विपरित होने से पोषणीय नहीं है। इस संबंध में निवेदन है कि खनन के लिए वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को सीमेंट प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लीज डीड संख्या 73/2011

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिनांक 06.04.2018 निष्पादित की गई उस समय विपक्षीगण को नहीं सुना गया। विपक्षीगण की कृषि आराजीयात ग्राम मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 49 में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नंबर 256 क्षेत्रफल 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) में विपक्षीगण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा निहित है। जिसकी कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। खातेदार की कृषि आराजीयात को अपने कब्जे में लेकर हडपने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। खातेदार की कृषि आराजीयात को अपने कब्जे में लेकर हडपने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो किसी प्रकार से पोषणीय नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्दर भूमि को अवाप्त किए जाने की दशा में कृषि को समुचित सुनवाई एवं सुरक्षा के प्रावधान है। इसी प्रकार के लैण्ड एक्जीवेशन (कंपनी) रूल्स 1963 में कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से रोकने के लिए कुछ निश्चित प्रावधान किए हुए हैं। नियम 4 में कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से पूर्व वरिष्ठ कृषि अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है एवं नियम 4 के उपनियम 6 में यह प्रावधान है कि कंपनी को किसी कृषि योग्य भूमि को अवाप्त करने से पूर्व कलेक्टर महोदय के समक्ष यह साबित करना पड़ेगा कि अन्य कोई उपयोग भूमि कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में कंपनी द्वारा सीधे ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 89 (4) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कृषक की भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी कंपनी ने पूर्व में हजारों एकड़ भूमि को खनन कार्य तथा सीमेंट निर्माण हेतु अवाप्त किया जा चुका है जिसमें ज्यादातर भूमि कृषि योग्य एवं उपजाऊ भूमि है तथा काफी क्षेत्रफल चारागाह भूमि है एवं पुनः उसी उद्देश्य के लिए प्रार्थी कंपनी पुनः हजारों एकड़ उसी क्षेत्र में कृषकों से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्राप्त करना करना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य और अत्यधिक लाभ कमाना है जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी व्यापारिक उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जा रही है, उससे इस क्षेत्र के कृषक गरीब हो जाएंगे और भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कृषकों की सारी भूमि यदि खनन कार्य व सीमेंट निर्माण हेतु प्राइवेट कंपनियों को जबरन कोडीयों के भाव दे दी जाएगी तो कृषकों के पास मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को इस प्रकार से औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्राइवेट कंपनीयों को सरकार को दिया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी जो देशहित में नहीं होगा। देश के चहुंमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये किसान खुद दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। खेती की जमीन जाने से आम आदमी की रोजी रोटी कपड़ा व मकान की मूलभुत आवश्यकता की समस्या पैदा हो जाएगी। किसानों के साथ सरकार ने तानाशाह जैसा रवैया अख्तियार किया है। खेती किसान की आजीविका है उसका सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश है जिसमें वह उसका परिवार जीता है। दरअसल किसान की जमीन छीना उसके जीने के अधिकार को छीनने के बराबर है। जो भूमि कंपनी द्वारा ली जा रही है वह काफी उपजाऊ होकर उसमें तीन फसल होती है, वहां अधिकतर जगह अफीम की खेती भी होती है। यहा पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है व कई हरे-भरे वृक्ष होकर ग्रीनबेल्ट है। पेड पौधे काटने से पर्यावरण प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन मय हर्जे-खर्चे व

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

निंदा के साथ निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी कंपनी द्वारा पूर्व में 89 (4) के तहत ली गई हजारों बीघा जमीन अवाप्त करने के बाद अभी भी काफी लम्बे समय से खाली पड़ी हुई है, जिसका उपयोग उपभोग नहीं किया जा रहा है। अब इसी तहसील में अन्य फैक्ट्रीयों के आने की होड़ाहोड़ में प्रार्थी कंपनी सरकार के साथ मिलीभगत कर लीज डीड अपने नाम कराकर छोड़ रही है, जबकि वास्तव में उन्हें उक्त भूमि की आवश्यकता भी नहीं है जबकि प्रार्थी कंपनी के पास पहले ही कच्चे माल का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध है। कंपनी द्वारा 30 वर्ष की लीज समाप्त होने के बाद भूमि किसी प्रकार से काम की नहीं रहेगी जबकि किसान हजारों वर्ष तक अन्न उपजा कर देश में खाद्यान्न की समस्या को दूर करने में सहयोग प्रदान करता रहें जो जनहित में है। उक्त कृषि आराजीयात पर दो ट्यूबवेल होकर सिंचाई का पर्याप्त साधन है एवं खांखरे के 10 पेड, 4 बबूल के पेड, 7 नीम के पेड, 2 खेजडी के पेड, 1 खजूर का पेड, 3-4 छल के पेड एवं सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन भी ले रखा है एवं दक्षिण से पूर्व में 5 फीट उंची कच्ची पत्थरों की कोट बना रखी है एवं मौके पर कुआ होकर पक्का निर्माण कार्य कर रखा है। अतः अप्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उठाई गई प्राथमिक आपत्ति के परिपेक्ष्य में प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यों के संबंध में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी प्राथमिक आपत्तियों के संबंध में जो तथ्ये एवं उठाये उनका किसी भी प्रकार संबंध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विविध प्रावधानों के तहत नहीं उठाये गये है ऐसी स्थिति उक्त प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का विषय वस्तु नहीं होकर मात्र किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तथ्य प्रतीत होते हैं जिनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 से किसी भी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। क्यों कि प्रार्थी कंपनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज जारी की जा चुकी हैं एवं प्रार्थी कंपनी अपने पक्ष में जारी लीज के आधार पर ही विधिक प्रावधानों के तहत न्यायालय आप समक्ष उपस्थित है। प्रार्थी कंपनी के पक्ष में जारी लीज एवं अन्य तथ्यों का इस प्रार्थना पत्र से किसी भी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्तियों को सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्राथमिक आपत्ति का चिंतन-मनन किया। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कंपनी के पक्ष में खनन हेतु नियमानुसार लीज संख्या 73/2011 जारी की गई हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लीज के जारी किये जाने अथवा औचित्य के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लीज के जारी किये जाने से संबंधित तथ्यों को देखा जाना उचित नहीं है, अतः अप्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति सारहीन होने से खारीज की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। विद्वान अधिक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा में सीमेंट प्लॉन्ट स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के खान विभाग ने एम.एम.(डी.आर.) एक्ट 1957, एम. एम.(डी.आर.) (संशोधन) एक्ट 2015, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 एवं खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22 के अन्तर्गत खनिज लाइम स्टोन (सीमेंट-ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम कारूण्डा, पायरी, धनोरा, मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ की 255.0032 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन-पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है, जिसकी प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज-डीड संख्या 73/2011 दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी को खान कार्य हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी के उक्त खनन क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित होने से प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेण्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन-कार्य हेतु आवश्यकता है। विपक्षीगण की हक एवं हिस्से की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना प्रार्थी कम्पनी को सीमेण्ट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेण्ट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और सीमेण्ट उद्योग पर विपरित प्रभाव पडेगा। इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना आवश्यक है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कंपनी को वर्णित खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि खनिज नियमावली 1960 एवं उसमें उद्धृत कानूनी प्रावधानों के तहत खनन पट्टा प्राप्त करने पहले रूल (2) (एच) के तहत सहमति लेना आवश्यक है तथा यदि प्रार्थी कंपनी कृषकों की खातेदारी भूमि पट्टा प्राप्त करना चाहती थी तो उसे भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत पहले भूमि को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अवाप्त किया जाना चाहिए था जो कंपनी द्वारा नहीं किया गया। प्रश्नगत पट्टा कंपनी द्वारा दुरभि संधि के द्वारा प्राप्त किया गया है जो अवैध होने से पोषणीय नहीं है। आगे अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 किसानों की भूमि को हथियाने के लिए कंपनी द्वारा मोडस ऑपरेंसी अपनाई गई है वह जन विरोधी है। क्योंकि कंपनी ने बिना कृषत खातेदार की स्वीकृति से सरकार के साथ संधि कर खनन पट्टा प्राप्त कर लिया एवं बिना अप्रार्थी एवं अन्य कृषकों की जानकारी के लीज डीड आदेश संख्या 73/2011 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा लीज डीड प्राप्त कर ली जो गैर कानूनी है। प्रार्थी कंपनी को उक्त भूमि माईनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता है तो किस प्रकार से प्रार्थना पत्र में उसका उल्लेख नहीं है। प्रार्थी की जमीन में कोई मिनरल नहीं है, यदि है तो प्रार्थी कंपनी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं लगाई है। प्रथमतः प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की भूमि को प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है, न ही यह भूमि जनहित

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ़

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ़

हेतु अवाप्त किया जाना प्रतीत होती है, बल्कि कंपनी और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए भूमि की मांग कर रही है जो कि कानूनन पोषणीय नहीं है। उद्योगपति और अधिक लाभ कमाने के लिए अपने व्यवसाय बढ़ाना चाहता है तो वह किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत देश की कृषि उत्पादन क्षमता उसकी जनसंख्या की मांग के अनुरूप अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि को खनन कार्य बहाने किसानों को उनके मुख्य व्यवसाय से वचिंत करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रार्थी कंपनी का यह कहना कि उसे खनन उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है स्वीकार नहीं किया जा सकता। भूमि को अवाप्त करने की आवश्यकता कंपनी को किस प्रकार से हुई प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। कंपनी द्वारा जो मुआवजा राशि अप्रार्थी को दिलायी जाएगी उससे कृषको उससे कृषको को जीवनयापन नहीं हो सकता है और ना ही कोई अन्य भूमि खरीद सकते है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 एवं उसका परिवाद कृषक होकर सदियों से अपने गांव में खेती पर निर्भर होकर बसे हुए है। प्रार्थी कंपनी अपने सीमेंट प्लांट व अवाप्त की गई भूमि को बेचकर प्राप्त की गई मुआवजा राशि से दूसरे राज्य में सीमेंट प्लांट लगा सकती है तो फिर वह गरीब व कृषकों की उपजाऊ जमीन को ही क्यों अवाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही विशेष कथन में निवेदन किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांतों में यह कानून प्रतिपादित किया है कि खनन कार्य हेतु किसानों की भूमि को उसकी सहमति के बिना अवाप्त नहीं किया जा सकता है। खनिज रियायत निगम 1960 नियम 22 (2) (एच) के अनुसार लीज डीड प्राप्त करने से पहले कंपनी को स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हमने किसानों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इस प्रकरण में कंपनी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे यह साबित हो कि कंपनी ने किसानों से अवाप्त की जाने वाले भूमि की स्वीकृति प्राप्त की हो। उक्त प्रकरण कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि कंपनी प्रतिनिधियों नें पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत कर गलत व झूठी रिपोर्ट काश्तकारों की अनुपस्थिति में तैयार कर भेजी जो स्वीकार नहीं है। कंपनी के पूर्व में चल रहे प्लांट से भारी मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है जिससे आस–पास का जनजीवन अस्त–व्यस्त है और पर्यावरण दूषित होने के कारण लोगों में व पशुधन में कई गंभीर बीमारीयां फैल रही है व लोगों को इन फैक्ट्रीयों से उड़ने वाली सीमेंट के कारण कैंसर व चर्म रोग एवं श्वास लेने में काफी परेशानी पैदा हो रही है। यहां पर पर्याप्त पानी होने के कारण काफी मात्रा में पशुधन है जिससे किसान दुग्ध उत्पादन करते हैं व किसानों को अपने खेत पर लगे पेड़ों से प्रतिवर्ष काफी मात्रा में जलाऊ व लकड़ी प्राप्त होती है जिससे उसका परिवार पलता है। जमीन अवाप्त होने के बाद इन किसानों के सामने अपने परिवार व पशुधन को पालने में भारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। अवाप्त की जाने वाली भूमि नेशनल हाईवे के पास होकर निम्बाहेड़ा शहर से मात्र 7–8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो काफी कीमती है। जिसकी बाजार दर 50 लाख रूपये प्रतिबीघा की कीमत की है। जमीन अवाप्त होने पर किसान व उसका परिवार पूरा बेरोजगार हो जाएगा व जमीन दो भागों में विभक्त होने से खेती करना

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

बड़ा मुश्किल होकर उसकी बाजार दर भी गिर जाएगी। विपक्षीगण की उक्त कृषि आराजीयात गांव के पास स्थित होकर काफी उपजाउ है एवं पानी का पर्याप्त साधन है। उक्त मामले में विपक्षीगण की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई और नही उसे कोई सूचना दी गई है। पटवार व कंपनी प्रतिनिधि ने विपक्षीगण को आर्थिक नुकसान पहुँचाने की नियत से मनमकसूद तरीके से रिपोर्ट बनाकर पेश की है स्वीकार नहीं हैं। खातेदारान की उपस्थिति में मौका देखा जाना काननून आवश्यक है। मैसर्स वण्डर सीमेंट द्वारा जितने भी 89 के प्रार्थना पत्र पेश हुए है उन सभी का निस्तारण नया कानून आ जाने के बावजूद भी उसकी अनदेखी करते हुए आपसी मिलीभगत कर अवार्ड पारित किया जा रहा है। जिससे कृषक को किसी प्रकार की कोई नए कानून की राहत नहीं मिल पा रही है एवं जिला कलक्टर के यहां पुराने एक परफोरमें के तहत कट-कॉपी का अवार्ड जारी कर दिया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायिक दृष्टांतों का किसी भी प्रकार से कोई अवलोकन नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रार्थना पत्र को सव्यय व हर्जाने सहित खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थी की भूमि को जिसे प्रार्थी कंपनी अवाप्त करना चाहती है को अवाप्ति की प्रक्रिया से मुक्त रखने का समुचित आदेश पारित करने की कृपा करावें जिससे कि अप्रार्थी कृषक व उसका परिवार अपना जीवनयापन सुचारू रूप से कर सके। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2021 का अवलोकन कराया एवं निवेदन किया मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2021 खातेदार हितधारी एवं कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में तैयार की गई है खातेदार स्वयं की उपस्थिति में तैयार की गई है एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2021 पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। ऐसी स्थिति में नवीन मौका रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ जहाँ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांतो का प्रश्न उठाया गया है इस तथ्य के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध नहीं कराये है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित तथ्यों का आधार बनाया जाकर तथ्य प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी कम्पनी न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार विपक्षीगण को उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर अन्यत्र भूमि क्रय कर सकेगें जिससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अन्तर्गत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावें, उक्त खनन क्षेत्र भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कृषि भूमि वण्डर सीमेण्ट लिमिटेड के नाम खनन प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत RRD 2020 पेज संख्या 290 प्रस्तुत कर न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत

न्यायालय जिला कलक्टर (चित्तौड़गढ़ (राज.))

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उप-पंजीयक निम्बाहेडा से प्राप्त प्रचलित बाजार दरों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया।

89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries –

1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions andreservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.

4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.

6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub- section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.

7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ़

Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding on thousand rupes as the Collector may impose.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89(2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89(4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 256 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा) की कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना (रूपये में)
1.	वृक्ष	71000/-
2.	पत्थर कोट	15000/-
2.	देवस्थान (निर्माण)	70000/-
	संरचनाओं का कुल योग	156000/-

हमने उप-पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 13,15,278/- रूपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर 26,30,556/- रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	मुआवजा हेतु निर्धारित दर प्रति हैक्टेयर (रूपये में)	देय राशि (रूपये में)
मालिया खेड़ी	256	0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर (दक्षिण दिशा)	2630556	920695/-
कुल किता - 1		कुल क्षेत्रफल 0.49 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर	कीमत संरचना	156000/-
			योग	1076695/-
			100 % सोलिशियम	1076695/-
			कुल देय राशि	2153390/-
अक्षरे ईक्कीस लाख तिरपन हजार तीन सौ नब्बे रूपये मात्र/-				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को नियमानुसार पालना बाबत् भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>14.12.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official